पत्र सं0-स0द0-नकद धनराशि जमा-2017-18 / 2027 /1718046 / वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर , वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(सचलदल अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: नवम्बर, 07 2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर /
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0)/
ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) / (कार्यपालक)
उत्तर प्रदेश ।

फील्ड के अधिकारियों द्वारा परिपत्र सं0–1718042 दिनांक 17.10.2017 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन हेतु रोके गये वाहनों एवं अभिग्रहीत वाहन व माल के सम्बंध में धारा–129 के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही एवं माल अवमुक्त किये जाने हेतु जमा करायी गयी धनराशि को कोषागार में जमा कराने आदि के सम्बंध में विधिअनुरूप प्रक्रिया निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बंध में सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत निर्देश जारी किए जा रहे हैं :–

उ0प्र0 माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा–129 के अन्तर्गत अधिनियम अथवा नियमावली के प्राविधानों का उल्लंघन करते हुए परिवहन किये जा रहे माल एवं उससे सम्बंधित प्रपत्रों तथा वाहन के अभिग्रहण के अधिकार प्रदान किये गये हैं। ऐसे माल को अवमुक्त किये जाने की प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की गयी है:–

(a) जहाँ माल स्वामी स्वयं कर व अर्थदण्ड की धनराशि जमा करने हेतु सामने आता है, वहाँ करयोग्य माल होने की स्थिति में लागू कर (Applicable Tax) एवं ऐसे वस्तुओं पर देय कर के शतप्रतिशत के बराबर अर्थदण्ड जमा कर देने पर माल अवमुक्त कर दिया जायेगा एवं करमुक्त माल होने की स्थिति में माल के मूल्य के 2 प्रतिशत अथवा रू0 25 हजार जो भी कम है, को जमा कर देने पर माल अवमुक्त किया जायेगा।

(b) जहाँ ऐसे कर अथवा देय अर्थदण्ड के भुगतान हेतु माल का स्वामी सामने नहीं आता है, वहाँ करयोग्य माल होने की स्थिति में लागू कर(Applicable Tax) एवं माल के मूल्य में से जमा किये गये कर की धनराशि को घटाते हुए माल के मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर अर्थदण्ड जमा कराकर माल अवमुक्त किया जायेगा, जबकि करमुक्त माल होने की स्थिति में माल के मूल्य का 5 प्रतिशत अथवा रू0 25 हजार जो भी कम है, वह जमा करा कर माल अवमुक्त किया जायेगा।

(c) उपरोक्त क्लॉज a एवं b के अन्तर्गत देय धनराशि के समतुल्य जमानत विहित रीति से जमा कराकर माल अवमुक्त किया जायेगा।

धारा–129 के अन्तर्गत यह प्रावधान भी किया गया है कि माल व वाहन के अभिग्रहण के सम्बंध में धारा–67 की उप धारा–6 के प्रावधान यथावत् (Mutatis Mutandis) लागू होंगें।

उक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि धारा– 68 के अन्तर्गत निर्धारित proper officers द्वारा माल की जाँच ट्रांजिट के दौरान की जायेगी और यदि माल का परिवहन अधिनियम अथवा नियमावली के प्राविधानों का उल्लंघन करके किया जा रहा है तो ऐसे माल एवं सम्बंधित प्रपत्र व वाहन को डिटेन अथवा सीज़ किया जा सकेगा एवं यदि माल स्वामी द्वारा सामने आ कर लागू कर (Applicable Tax) व ऐसी वस्तुओं पर देय कर के शत–प्रतिशत के बराबर अर्थदण्ड की राशि जमा कर दी जाती है तो माल अवमुक्त कर दिया जायेगा। उ0प्र0 माल एवं सेवा कर नियमावली के नियम–140 के उप नियम–1 के स्पष्टीकरण के अनुसार लागू कर(Applicable Tax) में केन्द्रीय कर, राज्य कर और यदि कोई सेस देय हो तो, शामिल होगा। अतः माल अवमुक्त किये जाने हेतु ऐसे मामलों में जहाँ माल स्वामी स्वयं सामने आता है, लागू कर (Applicable Tax) के रूप में राज्य कर व केन्द्रीय कर और सेस यदि लागू हो तो जमा कराया जायेगा तथा अर्थदण्ड के रूप में ऐसी वस्तुओं पर देय कर के शत–प्रतिशत अर्थात् राज्य कर अधिनियम के अन्तर्गत देय राज्य कर के समतुल्य एवं केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत देय केन्द्रीय कर के बराबर धनराशि अर्थदण्ड के रूप में वसूली जायेगी। ऐसे मामले जिनमें माल का स्वामी स्वयं लागू कर व अर्थदण्ड जमा कराने हेतु सामने नहीं आता है, उन मामलों में लागू कर के रूप में राज्य कर एवं केन्द्रीय कर तथा यदि कोई सेस देय हो, के बराबर की धनराशि जमा करायी जायेगी एवं माल के मूल्य में से अदा किये गये कर को घटाते हुए माल के मूल्य का 50 प्रतिशत धनराशि राज्य अधिनियम के अन्तर्गत एवं 50 प्रतिशत धनराशि केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत जमा करायी जायेगी। यह प्रावधान करयोग्य माल के सम्बंध में ही लागू होंगें, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा करमुक्त माल के सम्बंध में कोई ई–वे बिल अधिसूचित नहीं किया गया है। माल स्वामी

द्वारा अथवा परिवहनकर्ता द्वारा उपरोक्तानुसार धनराशि जमा कर देने पर धारा–129 के अन्तर्गत नोटिस से सम्बंधित समस्त कार्यवाही **concluded** मानी जायेगी।

माल स्वामी अथवा परिवहनकर्ता द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित धनराशि के समतुल्य विहित जमानत जमा करने पर नियमानुसार **Adjudication** व अर्थदण्ड की कार्यवाही की जायेगी। नियमावली के नियम–140 के उप नियम–(1) में जमानत के रूप में माल के मूल्य के बराबर की धनराशि का बॉण्ड तथा लागू कर (**Applicable Tax**) ब्याज एवं देय अर्थदण्ड की धनराशि के बराबर की बैंक गारण्टी विहित की गयी है। अतः सचल दल अधिकारियों से अपेक्षित है कि माल के अभिग्रहण के उपरान्त उपरोक्तानुसार धनराशि जमा कराकर अथवा जमानत जमा कराकर ही माल अवमुक्त किया जाये तथा माल स्वामी अथवा परिवहनकर्ता द्वारा अभिग्रहण के 1 सप्ताह के अन्दर देय कर व अर्थदण्ड जमा नहीं किये जाने की स्थिति में धारा–130 के अन्तर्गत जब्ती की कार्यवाही आरंभ की जाये, क्योंकि जब्ती की कार्यवाही अभिग्रहण के 1 सप्ताह के पश्चात ही की जानी अपेक्षित है।

जहाँ तक उक्त जमा धनराशि के राजकीय कोषागार में जमा किये जाने का प्रश्न है, जमाकर्ता के अपंजीकृत होने की दशा में जी0एस0टी0 पोर्टल पर चालान जेनरेट किये जाने की प्रक्रिया निम्नवत् है:–

1. अपंजीकृत व्यापारी से अर्थदण्ड जमा कराने हेतु सर्वप्रथम जी0एस0टी0एन0 बैक ऑफिस में रजिस्ट्रेशन एनरोलमेन्ट रोल के लिये यूजर क्रियेट किया जायेगा।
2. जी0एस0टी0एन0 बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर में लॉगिन करने पर सर्विस मेन्यू के अन्तर्गत **suo moto registration** का विकल्प उपलब्ध होगा।
3. **suo moto registration** में क्लिक करने पर उपलब्ध स्क्रीन में व्यापारी का विवरण ऑनलाइन सबमिट करने पर सम्बंधित व्यापारी को यूनिक आई0डी0 प्राप्त हो जायेगी।
4. इस यूनिक आई0डी0 को नोट कर **create challan** के लिंक पर क्लिक करके जेनरेटेड यूनिक आई0डी0 अंकित करने पर चालान जेनरेट किया जा सकता है।
5. **suo moto registration** हेतु जी0एस0टी0एन0 बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर में पूर्व से **created registration users** को **registration enforcement** का **role reassign** किया जाना आवश्यक होगा। अतः जोनल एडीशनल कमिश्नर अपंजीकृत व्यापारियों से अर्थदण्ड जमा कराने हेतु **challan** जमा कराने के लिए सचलदल अधिकारियों को **role assign** किए जाने तक प्रत्येक सम्भाग में एक कर निर्धारण अधिकारी नामित करना सुनिश्चित करेंगे।

यदि जमाकर्ता पंजीकृत है तो उस स्थिति में उनके द्वारा स्वयं पोर्टल पर चालान जेनरेट करते हुए धनराशि सुसंगत अधिनियमों की अर्थदण्ड के मद में जमा करायी जाये। यदि जमाकर्ता द्वारा स्वयं चालान जेनरेट करते हुए ऑनलाइन भुगतान नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में देय धनराशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करायी जाये और पोर्टल पर पंजीकृत व्यापारियों से सम्बंधित धनराशि जमा करने की व्यवस्था हो जाने पर यह धनराशि सुसंगत अधिनियम की अर्थदण्ड के मद में जमा करायी जाये। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पोर्टल पर अग्रिम व्यवस्था होने तक लागू कर एवं अर्थदण्ड की धनराशि अर्थदण्ड मद में ही जमा करायी जाये।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

7/11/17

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।